

प्ररूप अ.डि.-4
सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना
(धारा 11,30 नियम 41(1),64)
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

.....के मामले में¹ मैं/हम².....इसके द्वारा सूचना देता हूँ/देते हैं कि उक्त विषय के संदर्भ में सुनवाई के लिए जो तारीख.....मास.....20.....की शासकीय सूचना द्वारा मुझे/हमें तारीख.....मास.....20.....को³ स्थान पर.....बजे पूर्वाह्न या अपराह्न नियत की गई है उसमें मैं/हम उपस्थित रहूंगा/रहेंगे या मेरी/हमारी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित रहेगा ।

आज तारीख.....मास.....20.....

4.

⁵सेवा में,

.....

1. पूरा नाम तथा पता बताएँ । यदि विरोधकर्ता का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए कोई पता बताएँ ।
2. केवल ऐसे विरोधकर्ता द्वारा बताया जाए जिसने भारत में अपने कारबार का मुख्य स्थान का या निवास का पता दिया है किंतु विरोध की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए भारत में उस पते से भिन्न कोई अन्य पता देना चाहता है ।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति । धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर
4. जो लागू न हो उसे काट दें ।
5. अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या समनुदेशन या पारेषण के मामले में प्रतिकथन अभिन्यास डिजाइन-अपील बोर्ड को संबोधित किया जाएगा (नियम 69 देखें) और रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने के मामले में अर्द्धचालक एकीकृत परिपंथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा (नियम 33(2) देखें) .